राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

दायर दिनांकः— 17.12.2020

राजस्व वाद संख्याः—46/2020

पीठासीन अधिकारीः—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामेश्वर पुत्र स्व. मूला, जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—पोख ढाणी, चावण्डाला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
2. धापली पत्नि स्व. मूला, जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—पोख ढाणी, चावण्डाला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
3. लक्ष्मण पुत्र स्व. मूला, जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—पोख ढाणी, चावण्डाला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
4. बनारसी पुत्री स्व. मूला पत्नि गुलाराम जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—पोख ढाणी, चावण्डाला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
5. मूलचन्द पुत्र किशना, जाति—माली, निवासी—ढाणी बालाजी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
6. सुभाष पुत्र मूलचन्द, जाति—माली, निवासी—ढाणी बालाजी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
7. सुमेर पुत्र मूलचन्द, जाति—माली, निवासी—ढाणी बालाजी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
8. मोहन पुत्र मूलचन्द, जाति—माली, निवासी—ढाणी बालाजी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
9. बिज्जू पुत्र मूलचन्द, जाति—माली, निवासी—ढाणी बालाजी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला—झुंझुनू।
10. सन्ती पुत्री मूला पत्नि चौथू, जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—नया माली की ढाणी, नरायना, तहसील—फुलेरा, जिला—जयपुर।
11. सन्तोष पुत्री मूला पत्नि मन्नीराम, जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—ढाणी बालाजी की, तहसील—नीमकाथना महावा, जिला—सीकर।
12. ममता पुत्री मूला पत्नि राधेश्याम, जाति—माली, निवासी—छोटा नरैना, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर हाल निवासी—छतरी वाली ढाणी, पंचलंगी, जिला—झुंझुनू।

..........वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर।
2. तहसीलदार, तहसील—रुपनगढ, जिला—अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधि.व धारा 136 रा.भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः— 22.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज व पिता, नाना मूलाराम पुत्र किशना ने जगदीशसिंह पुत्र गोविन्दसिंह निवासी छोटा नरैना, तहसील रुपनगढ से ग्राम नरेना तहसील रुपनगढ स्थित कृषि भूमि एकीकरण खसरा संख्या—515 रकबा 280 बीघा 15 [illegible] 17 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक—24.07.1972 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। [illegible] पूर्वज मूलाराम पुत्र किशना के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र का पंजीयन सब रजिस्ट्रार [illegible] के यहां दि[illegible]—29.09.1972 को किया गया था। मूला पुत्र किशना ने खसरा नम्बर 515 रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा में से 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि को [illegible]जिस्टर्ड विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

पत्र से क्रयशुदा कब्जे काश्त स्वामित्व की भूमि है। मूला पुत्र किशना को हक हिस्सा अधिकार कब्जा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त हुआ था। मूला पुत्र किशना के द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने के कार्यवाही की गई थी जिसके तहत नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक–08.11.1974 के मुताबिक रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा का मि0 खसरा संख्या 696 के रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामान्तरण मूला पुत्र किशना के नाम किये जाने के आदेश किये गये थे जिसके तहत हल्का पटवारी द्वारा रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा का मि0 खसरा संख्या 696 के रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर मूला पूत्र किशना के नाम का नामांकन किये जाने के आदेश किये गये थे जिसका अंकन हल्का पटवारी के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक–24.07.1972 पर दिनांक–08.11.1974 को किया गया था। मूला पुत्र किशना के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में मूला पुत्र किशना के नाम से नामांकन किये जाने के आदेश राजस्व अधिकारियों के द्वारा तत्समय कर दिये गये थे। मिलान क्षेत्रफल के आधार पर खसरा संख्या 515 रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा संख्या 696 के रकबा 180 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 696/712 रकबा 100 बीघा बने थे जिसमें से खसरा संख्या 696 का विभाजन हो चुका है जिसके तहत खसरा संख्या 696/1 रकबा 100 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा मूला पूत्र किशना के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा भूमि है जिस पर वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना का कब्जा काश्त चला आ रहा था। मूला की मृत्यु दिनांक–20.04.2009 को वर्तमान निवास स्थान पोख ढाणी, चावण्डाला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला–झुंझुनू में हो चुकी है। मूला पुत्र किशना की मृत्यु दिनांक–20.04.2009 को होने पर वादीगण को उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत वादीगण स्व0 मूला पुत्र किशना के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने के कारण विरासत में प्राप्त हुई है जिसके तहत उक्त भूमि पर वादीगण व वादीगण के हितबद्ध व्यक्ति का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के अलावा उक्त भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। वादीगण के पूर्वज मूला पुत्र किशना उक्त भूमि पर काश्त करवाते आ रहे थे तथा मूला पुत्र किशना की मृत्यु होने के पश्चात् वादीगण ग्राम नरैना,तहसील रुपनगढ में आते–जाते रहे एवं उक्त भूमि पर काश्त करवाते चले आ रहे है। मूला पुत्र किशना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरण वादीगण के द्वारा खुलवाना चाहने पर मूला पुत्र किशना का सजरा प्राप्त कर विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु संबंधित पटवारी से संपर्क करने पर अवगत करवाया गया कि मूला पुत्र किशना के नाम का अंकन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में नहीं हो रखा है इस कारण विरासत का नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होना बताते हुए विरासत की कार्यवाही किये जाने से इन्कार कर दिया गया। उक्त के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि में वादीगण के पूर्वज मूला पुत्र किशना का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना बताते हुए वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी गई। हल्का पटवारी के द्वारा उक्त प्रकार से विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही से इन्कार करने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त प्रकार से धमकी देने पर वादीगण के द्वारा उक्त के बाद राजस्व रिकॉर्ड दिनांक–16.09.2020 प्राप्त कर अवलोकन करने से जानकारी हुई कि वादीगण के पूर्वज मूला पुत्र किशना के द्वारा उक्त भूमि को जगदीशसिंह पुत्र गोविन्दसिंह से क्रय करने पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया था परन्तु बाद में उक्त अंकन को पश्चात्वर्ती नये खसरा संख्या में नहीं किया गया है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज मूला पुत्र किशना द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया था और इसके पश्चात् उक्त भूमि वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के कब्जे काश्त व खातेदारी [illegible] थी। जगदीशसिंह पुत्र गोविन्दसिंह का उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधि[illegible] उक्त की खातेदारी में रही थी। इस कारण उक्त भूमि का उक्त जगदीशसिंह पुत्र गोविन्दसिंह की खातेदारी के आधार पर किसी तरह की कार्यवाही करके वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] अंकन को निरस्त नहीं किया जा सकता था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ, अजमेर।

उक्त के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत रुप से वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के नाम के अंकन को पश्चात्वर्ती राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में किये गये अंकन को हटाने से पूर्व वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना को किसी तरह का कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, ना ही वादीगण एवं उनके पूर्वज मूला पुत्र किशना को सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत रुप से विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे कर रखे अंकन को निरस्त किया गया है। राजस्व अधिकारियों का उक्त कृत्य अवैध होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना को जगदीशसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के द्वारा खसरा नम्बर 515 रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बैचान किया गया था। तत्समय ही उक्त खसरा नम्बर 515 रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा में से अन्य व्यक्तियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि का बैचान किया गया था। उक्त व्यक्तियों के नाम राजस्व अधिकारियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया था। उक्त बैचान को सही मानते हुए राजस्व रिकॉर्ड में हो रखे अंकन को सही मानते हुए उक्त को खातेदारी दे दी गई है तथा उक्त का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो रखा है। परन्तु राजस्व अधिकारियों के द्वारा समानता के अधिकार के तहत कार्यवाही नही करते हुए वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के नाम से हो रखे राजस्व अंकन को निरस्त किया गया है जो कि समानता के अधिकार के विपरीत होकर वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के साथ भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाकर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध किया गया है जो कि अवैध कृत्य है तथा भारतीय संविधान के विपरीत कृत्य है। वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कयशुदा भूमि खसरा संख्या 515 रकबा 280 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा संख्या 696 के रकबा 180 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सख्या 696/712 रकबा 100 बीघा बने थे जिसमे से खसरा संख्या 696 का विभाजन हो चुका है जिसके तहत खसरा संख्या 696/1 रकबा 100 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण की विरासत में प्राप्त कब्जे काश्त की भूमि है। वादी संख्या 1 से 12 के पति/पिता/नाना के हो रखे अंकन को गलत रुप से हटाया गया है। वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कयशुदा भूमि का इन्द्राज दुरुस्त करवाते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। शुद्धिपत्र दिनांक-06.09.2018 के आदेश से खसरा नम्बर 696/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 696 बनाये गये। वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण के द्वारा वादीगण के पूर्वज मूला पुत्र किशना की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु सजरा प्रमाण पत्र प्राप्त कर हल्का पटवारी से नामान्तरण कर कार्यवाही करने का निवेदन करने पर हल्का पटवारी के द्वारा वर्तमान जमाबंदी में वादीगण पूर्वज मूला पुत्र किशना के नाम का अंकन नहीं होने के कारण नामान्तरण की कार्यवाही से इन्कार करते हुए नामान्तरण खोलने से इन्कार कर दिये जाने के कारण तथा वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर उतारु होने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरंतर रुप से जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नरेना की एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 के खाता संख्या 38 मे खसरा नम्बर 515 रकबा 280-15 बीघा किस्म बीड अव्वल जगदीशसिंह वल्द गोविन्दसिह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम रिकॉर्ड में दर्ज था। ग्राम नरेना की एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020-22 के खाता संख्या 42 मे खसरा नम्बर 515 रकबा 280-15 बीघा किस्म बीड अव्वल जगदीशसिंह वल्द गोविन्दसिंह कौम राजपूत सा[illegible] में दर्ज थी एवं खाता संख्या 42 मे 'श्रीमान् जी खसरा नम्बर 515 पुराना रकबा 280-15 बीघा व ख[illegible] 696 रकबा 180-15 बीघा का मि0 खसरा नम्बर 696 रकबा 26-17 बीघा मूला पुत्र कि[illegible] नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक'-08.11.1974 के मुताबिक नामांकन किया [illegible] अंकित किया हुआ है जिसमें किसी नामातरकरण संख्या का उल्लेख नही है। यह [illegible] आदेश से ही लगाया गया है। ग्राम नरेना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, अजमेर

की वर्किंग जमाबंदी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार एकीकरण खसरा नम्बर 515 रकबा 280–15 बीघा के नये नम्बर 696 रकबा 180–15 बीघा व खसरा नम्बर 696/712 रकबा 100 बीघा बने है जो वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 43 में खसरा नम्बर 696 रकबा 180–15 बीघा जगदीशसिंह वल्द गोविन्दसिंह कौम राजपूत सा0देह के नाम पर एवं खाता संख्या 115 में खसरा नम्बर 696/712 रकबा 100 बीघा रतनकंवर जोजे रविन्द्रसिंह राजपूत सा0 रेनवाल जयपुर के नाम दर्ज थी। उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान में से जरिये नामांतरकरण संख्या 63 स्वीकृत दिनांक–02.10.1980 से खसरा नम्बर 696/712 का रकबा 100 बीघा व खसरा नम्बर 696 में से 100–15 बीघा सीलिंग में अवाप्त होकर सिवायचक दर्ज किया गया जो वर्तमान जमाबंदी तक खसरा नम्बर 696/1 (वर्तमान खसरा नम्बर 696) रकबा 100–15 बीघा व खसरा नम्बर 696/712 रकबा 100 बीघा सिवायचक खाते में ही दर्ज है। वाद अधीन भूमि ग्राम नरेना के खसरा नम्बर 696 रकबा 100–15 बीघा विधिक प्रकिया अपनाकर सीलिंग में अवाप्त होकर राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है एवं वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने पर राजहित प्रभावित होता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमानें की कृपा करावें। जवाब उपरान्त प्रकरण में तनकियात कायम की गई। वादी संख्या 1 की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. वास्ते साक्ष्य हेतु पेश किया जिस पर बयान लिये गये एवं जिरह की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस सुनी। चुंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम नरेना के खसरा नम्बर 696 रकबा 100–15 बीघा वर्तमान में राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 696 में से 100–15 बीघा में से 26–17 बीघा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। अगर वादीगण अनुतोष चाहते हैं तो जब भी राज्य सरकार आवंटन/नियमन की कार्यवाही करे तब वे अपना आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर आवंटन/नियमन संबंधी अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested